

**कार्यालय,  
समिति प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
पुस्तक प्रवेश अखनऊ।**

संख्या- प्राशिए/परिषद/सम्बद्धता/2019/1192

तारीख: दिनांक- 15-5-2019

**कार्यालय ज्ञाप-:**

संयुक्त भारतीय इस्लामी शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए 2019-20 हेतु दिल्ली क्षेत्रीय (उत्तरी) शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान किए जाने के संबंध में प्राविधिक शिक्षा परिषद अखनऊ से संबंधित/संबंधित विस्तार प्रदान किए गए हैं। हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अखनऊ को अध्यक्षता में पुणेठ कार्यक्रम में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदन पत्र संस्थाओं से सम्बद्धता हेतु से संबंधित संस्थाओं या संस्थानों विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु प्रवेश/अर्थ हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अनुक्रम में सम्बद्धता निर्माण के संबंध में मंड-2 में विद्यमान इन इलाख पाठ्यक्रम संस्थाओं के संबंध में बैठक से सम्बद्धता प्रदान का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

**संलग्नक-1** में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षण संस्थानों के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित सम्बद्धता शर्तों के अधीन अथवा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 अखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

असल विनियमों के संबंध में संलग्नक-1 में संलग्नक-2 द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित विचार-विमर्श से उ0प्र0 अखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है -

क्र. सं.	शर्तें	संस्था का नाम	अनुदान का नाम	संस्थाओं/संस्थानों/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया	सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया
1	सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान करने के लिए संस्थाओं/संस्थानों/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया	संस्था का नाम	अनुदान का नाम	अनुदान का नाम	अनुदान का नाम

**संलग्नक-2 शर्तें**

- ✓ संस्था/संस्थान/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया।
- ✓ संस्था/संस्थान/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया।
- ✓ संस्था/संस्थान/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया।
- ✓ संस्था/संस्थान/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया।
- ✓ संस्था/संस्थान/विस्तार/आवकत/प्रवेश हेतु सत्र 2019-20 में अनुदान प्रदान किया गया।







**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय आप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी कार्मिस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लवात्ता स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4486-VIJAY PRATAP INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NEAR ZAFRABAD POLICE STATION, VARANASI ROAD, JAUNPUR**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा तिशोरित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था इस प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, संशोधित विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित विषयों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क तिर्पण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/-

प्रतिस्थापित शुरुआत ही पदच्युत छात्र/छात्राओं से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्रावली होंगी, और नदुरत कार्यावाही किये जाने आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरो) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदन पत्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार (उपरो) की कार्रवाई की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 से आयाती सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेश/निदेशों एवं प्रिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाध, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध, तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, अदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्रवाई पाठ्यक्रम की समस्याएं यदि पी.सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विभिन्न रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा समिदेशात्मक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई फाइल आवर किया जाता है तथा आवर घाट के स्वरूप में आस्थापना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्रवाई पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रावली पत्रों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कठिनातिलेख पत्रावली पत्रों के पूर्ण पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कठिनातिलेख) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे (उपरो) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैलेंसशिट पर संस्था की समस्त सृष्टाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पूंजी भूनि, स्टॉक, सान-सॉन्डा, उपकरण, पत्रावली प्राप्त करने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये समितिक, कृषि-संयुक्त, कर्मीनर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था को संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूनि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-संसाधन ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0/परिषद के मालिकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

प्रत्युपस्थानाचार्य (सायेंस) की (सहयोगी)

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

सू.सं०- प्राशिक्ष/परिषद सन्बद्ध/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIJAY PRATAP INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NEAR ZAFRABAD POLICE STATION, VARANASI ROAD, JAUNPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव